# अनुदान संख्या 103 - लेखन सामग्री तथा मुद्रण
# GRANT No. 103 - STATIONERY AND PRINTING

| | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving- |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| **राजस्व:** | **Revenue:** | | | |
| स्वीकृत– | Voted– | 264,32,00 | 224,60,60 | -39,71,40 |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | 21,16,00 |
| **पूंजीगत:** | **Capital:** | | | |
| स्वीकृत– | Voted– | 10,00 | 98 | -9,02 |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | शून्य Nil |

***टीका और टिप्पणियां***

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

***Notes and comments***

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "2058" | Major Head "2058" | | | | |
| लेखन सामग्री तथा मुद्रण | Stationery and Printing | | | | |
| मू. | O. | 25416.00 | 23309.72 | 21483.15 | -1826.57 |
| पु. | R. | -2106.28 | | | |

(I) "लेखन सामग्री की खरीद और पूर्ति - लेखन सामग्री नियंत्रक" के अंतर्गत ₹691.72 लाख की बचत (₹2640.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कागज की अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्तावों के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(I) Under "Purchase and Supply of Stationery Stores – Controller of Stationery" – saving of ₹691.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2640.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals for procurement of paper.

(II) "फार्मों का मुद्रण, भंडारण और वितरण - फार्म भंडार, कोलकाता" के अंतर्गत ₹114.23 लाख की बचत (₹967.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, प्रेषण कार्य की मात्रा में कमी आने और ढुलाई संविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under "Printing, Storage and Distribution of Forms – Forms Store, Kolkata" – saving of ₹114.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹967.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries, decrease in the volume of dispatch work and non-finalisation of carrying contract.

(III) "सरकारी मुद्रणालय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "मुद्रण निदेशालय" - ₹193.78 लाख की बचत (₹708.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) "मुद्रणालय" - ₹2703.20 लाख की बचत (₹18021.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, कागज की अधिप्राप्ति के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(IV) "सरकारी प्रकाशन - प्रकाशन नियंत्रक" के अंतर्गत ₹190.99 लाख की बचत (₹2954.00 लाख के स्वीकृत प्रावधन की तुलना में) स्थापना व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

**2. *सरकारी गैर-वाणिज्यिक विभाग की मूल्यह्रास आरक्षित निधि:-***

सरकारी मूल्यह्रास आरक्षित निधि (गैर-वाणिज्यिक विभाग) का गठन संयंत्र, मशीनरी और फर्नीचर के नवीकरण और प्रतिस्थापन के लिए अपेक्षित लागत को पूरा करने के लिए आरक्षित पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक पद्धति को शुरू करने के लिए किया गया था ताकि मुद्रणालय को स्वत: कार्य कुशल स्थिति में रखा जा सके। मूल्यह्रास की गणना मुद्रणालय के कुल उत्पादन में उपयोग में लाई गई परिसंपत्तियों के मूल्य पर की जाती है। तदनुसार, निधि में इतनी धनराशि होगी जो सामान्य टूट-फूट पर खर्च होने वाली पूंजी को वापस रखने के लिए पर्याप्त होगी। इस निधि को सरकारी लेखों में जमा के रूप में माना जाएगा और निधि को देय प्राप्तियों को वर्ष के दौरान ज्ञात की गई मूल्यह्रास की वास्तविक राशि के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखों की समाप्ति से ठीक पहले जमा कर दिया जाएगा। बचत प्रावधान विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर किया जाता है। सरकारी मुद्रणालयों में मूल्यह्रास निधि नियमावली के नियम 4 के अनुसार समय-समय पर हाथ में शेष राशियों पर ब्याज को इस निधि में जमा नहीं किया

(III) Under "Government Presses" – savings occurred under the following heads :-

(A) "Directorate of Printing" - saving of ₹193.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹708.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(B) "Printing Presses" - saving of ₹2703.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18021.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of proposal for procurement of paper and economy measures.

(IV) Under "Government Publications – Controller of Publications" – saving of ₹190.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2954.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards establishment expenses.

**2. *Depreciation Reserve Fund of Government Non-commercial department:-***

Depreciation Reserve Fund of Government (Non-commercial department) was constituted for introducing the commercial practice to provide a reserve sufficient fund to meet the required cost for renewal and replacement of plant, machinery and furniture so that the Press may be kept automatically in an efficient working condition. Depreciation is calculated on the value of assets which had been used in producing the outturn of the Press. The Fund will accordingly contain an amount of money sufficient to replace the capital consumed by normal wear and tear. The fund shall be treated as a deposit in the Government accounts and receipts due to the Fund shall be credited immediately prior to the closing of the accounts of each financial year on the basis of the actual amount of depreciation worked out during the year.

जाएगा क्योंकि सरकारी मुद्रणालयों में लागत निर्धारण प्रणाली में ब्याज की गणना मूल पूंजीगत मूल्य पर नहीं बल्कि केवल ह्रासित पूंजीगत मूल्य पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, उक्त नियमावली के नियम 6 के अनुसार निधि से व्यय शुरू में उपयुक्त विस्तृत शीर्ष के अंतर्गत लेखाबद्ध किया जाना चाहिए और वर्ष के अंत में उतनी ही राशि जमा शीर्ष मूल्यह्रास निधि से विस्तृत शीर्ष को अंतरित की जाएगी।

Budget provision is made on the basis of intimation from the Department. As per Rule 4 of Rules for the Depreciation Fund in Government Presses, interest on the balances in hand from time to time will not be credited to the fund owing to the fact that the costing system in Government Presses includes a calculation of interest, not on the original capital value, but on the depreciated capital value only. Further as per Rule 6 of the said Rules Expenditure from the fund must be accounted for in the first instance under the appropriate detailed head and at the end of the year an equivalent sum will be transferred from the Deposit Head depreciation Fund to the detailed head.

*वर्ष 2012-13 के लिए सरकारी मूल्यह्रास आरक्षित निधि (गैर-वाणिज्यिक विभाग) का लेखा इस प्रकार था:-*

*Account of Depreciation Reserve Fund of Government (Non-commercial department) for 2012-13 was as follows:-*

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

| | | |
|---|---|---|
| अथ शेष | Opening Balance | 26,35,43 |
| प्राप्तियां | Receipts | 93,56 |
| अदायगियां | Payments | .. |
| अंत शेष | Closing Balance | 27,28,99 |